



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2013/फाल्गुन 20, 1934
No. 69] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2013/PHALGUNA 20, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2013

फा. सं. 1/3/2009-ईपी(एग्री.-IV).—कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 में संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

- (1) इन विनियमों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विनियम 2013 कहा जाएगा।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 (जिन्हें एतदपश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के नियम के खंड (v) में 'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर 'सचिव' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सचिव से है;

3. उक्त नियमावली के नियम 9 के उपनियम (i) में 'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर 'सचिव' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. उक्त नियमावली के 'अध्याय-V' में निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

अध्याय- V

प्राधिकरण के कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, सेवा शर्तें आदि

- (2) सीधी भर्ती की पद्धति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण में विभिन्न संवर्गों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा:-

I. समूह क - ऐसा पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान अधिकतम 5400/-रुपए के ग्रेड वेतन से कम न हो ।

II. समूह ख - ऐसा पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान अधिकतम 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन से कम न हो लेकिन 5400/-रुपए के ग्रेड वेतन से कम हो ।

III. समूह ग - ऐसा पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान अधिकतम 1650/-रुपए के ग्रेड वेतन से कम न हो लेकिन 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन से कम हो ।

IV. समूह घ - ऐसा पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान अधिकतम 1650/-रुपए के ग्रेड वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो ।

- (3) समूह ख, ग और घ के पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालय और उचित समझे जाने पर पुनर्विनियोजन महानिदेशालय को रिक्तियों की सूचना देकर की जाएगी, बशर्त कि समूह ख, ग और घ के पदों पर रिक्तियों की स्थिति में, जिनके लिए सचिव पूर्व अनुभव को वांछनीय समझते हों, भर्ती उक्त पद के संबंध में विज्ञापन देकर भी की जा सकती है ।

- (4) समूह क के पदों के मामले में भर्ती अखिल भारतीय आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित करके यथा निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले तथा उक्त विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से चयन के आधार पर की जाएगी ।

- (5) अभ्यर्थियों की प्रारंभिक छँटनी करने और अंतिम चयन करने के प्रयोजनार्थ प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाएँ तथा साक्षात्कार का आयोजन उस तरह से किया जाएगा जैसा सचिव, कार्यकारी समिति अथवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले पदों के संबंध में निर्धारित किया जाएगा ।

- (6) ऐसा कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा ।

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह की संविदा की हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, या

ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो ।

परंतु केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त विवाह उस व्यक्ति अथवा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीयविधि के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है।

(9) सचिव, ऐसे प्रपत्र, प्रक्रिया तथा प्ररूप तैयार एवं निर्धारित कर सकते हैं जो उपविनियम (5), (6) और (7) के अनुलग्न एवं अनिवार्य हों।

(ख) अधिकतम 5400/-रूपए के ग्रेड वेतन वाले सभी पदों (समूह 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणी) के लिए अध्यक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी होंगे बशर्ते कि उनके द्वारा की गयी सभी नियुक्तियाँ केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत पदों के लिए हों तथा वह इसकी सूचना प्राधिकरण की कार्यकारी समिति और केन्द्रीय सरकार को देंगे।

(ग) सचिव उन तरीकों का निर्धारण कर सकते हैं जिन्हें वह उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती करने की प्रक्रिया में अध्यक्ष की सहायता करने के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक समझते हों।

(घ) कार्यकारी समिति उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए तरीके एवं प्रक्रिया अपना सकती है जिन्हें वह इसमें सहायता देने के लिए उचित समझती हो। तथापि, जहाँ ऐसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है, वहाँ सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा अंतिम चयन किए जाने तक इस संबंध में सभी कार्य करेंगे तथा समिति द्वारा चयनित व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे।

(ङ) सचिव अथवा समिति, भर्ती और चयन के कार्य में सहयोग करने हेतु बाह्य विशेषज्ञों को उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए सहयोजित कर सकते हैं और जहाँ यह सहयोजन साक्षात्कार में सहायता के प्रयोजन से लिया जाता है, तो ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वानुमोदित, निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

(च) प्राधिकरण, सेवाओं के लिए जैसा उचित समझे, संविदा कर सकता है। केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना संविदा पर कोई भी नियुक्ति 6 माह से अधिक की अवधि के लिए और अधिकतम 2300/-रु (अर्थात् समूह-ग श्रेणी के वेतन बैंड + ग्रेड वेतन के अधिकतम मासिक पारिश्रमिक पर नहीं की जाएगी।

5. उक्त नियमावली के अध्याय-VII के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

अध्याय- VII

प्राधिकरण का वित्त, बजट एवं लेखा

30. व्यय मंजूर करने की शक्तियाँ

सचिव, केन्द्रीय सरकार के वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजन नियमावली करने के उपबंधों के अनुसार कार्यालय की आकस्मिकताओं आपूर्ति और सेवाओं आदि से संबंधित आवर्ती और अनावर्ती व्यय पर व्यय की

संस्वीकृति देने की अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकरण के किसी अधिकारी/अधिकारियों को कर सकते हैं।

31. हानि को बट्टे खाते में डालने, प्रविष्टि करने और संविदा तथा पट्टा करार निष्पादित करने की शक्ति

(1) सचिव, केन्द्र सरकार की वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजन नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित वसूल न किए जाने योग्य घाटे को बट्टे खाते डालने की शक्ति होगी।

(2) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजन नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित सीमा तक उपगत किसी ऐसी हानि को बट्टे खाते में डाल सकता है जो चोरी, धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के किसी एक मामले में हुई हो, और केन्द्रीय सरकार की वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजन नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित सीमा तक जहाँ ऐसी हानि सार्वजनिक धन राजस्व अथवा प्राप्तियों, भंडार अथवा प्राधिकरण द्वारा अथवा उसकी ओर से धारित अन्य संपत्ति से संबंधित हो, को बट्टे खाते डाल सकता है, बशर्ते कि इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य शर्तों का अनुसरण किया जाए। किसी भी वर्ष में हानि को बट्टे खाते में डालने की कुल राशि के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति ली जाएगी।

(3) सचिव, प्राधिकरण के अनुमोदन से ऐसी संविदा निष्पादित कर सकते हैं जिनकी अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी और जिनमें केन्द्रीय सरकार की वित्तीय शक्तियाँ की प्रत्यायोजन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक का व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं होगा।

परंतु फर्मों या विदेशी सरकार के साथ तकनीकी सहयोग या परामर्श हेतु प्रत्येक संविदा अथवा करार के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी।

(4) सचिव को पट्टा करार और पावर ऑफ अटार्नी निष्पादित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(5) अध्यक्ष, अपनी स्वयं की यात्रा तथा दैनिक भत्तों के लिए नियंत्रण पदाधिकारी होगा।

(6) सचिव, स्वयं की तथा प्राधिकरण के अन्य सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा एवं दैनिक भत्तों के बारे में नियंत्रण अधिकारी होंगे।

परंतु, सचिव, प्राधिकरण के, प्रतिमाह 4600/-रूपए ग्रेड वेतन अथवा उसके समकक्ष तक के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली यात्रा, दैनिक भत्ते के संबंध में प्राधिकरण के किसी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

(7) प्राधिकरण के जमा किए जाने वाले के सभी चेक तथा अन्य आदेश या निवेश या आहरण, अथवा निधियों का किसी अन्य ढंग से या प्राधिकरण के निधियों का निपटान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाया:-

(क) 25000/-रूपए से अनधिक की राशि वाले चेकों अथवा आदेशों पर सचिव द्वारा निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ख) 25000/-रुपए से अधिक की राशि के बैंकों अथवा आदेशों पर महाप्रबंधक बजट एवं वित्त प्रभाग द्वारा तथा सचिव द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

आसित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

[विलापन II/4/अस./153/12]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2013

F. No. 1/3/2009-EP(Agri.-IV).— In exercise of the powers conferred by section 33 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the regulations to amend the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Regulations, 1999 namely:-

(1) These regulations may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Regulations, 1999 (hereinafter referred to as the said regulations), in clause (v), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.

(v) "Competent Authority" means the Secretary of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority;

3. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (i), for the words "The Chairman" the words "The Secretary" shall be substituted.

4. In "Chapter V" of the said rules, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"CHAPTER-V

Methods of Recruitment, conditions of service, etc of employees of the Authority

(2) For the purpose of determining method of direct recruitment, the various cadres in the Authority may be categorized as follows:-

- I. Group A - A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than the Grade pay of Rs.5400/-
- II. Group B - A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than the Grade pay of Rs.4200/-but less than the Grade pay of Rs.5400/-

1008 GI/13-2

III. Group C - A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than the Grade pay of Rs.1650/- but less than the Grade pay of Rs.4200/-

IV. Group D - A post carrying a pay or a scale of maximum of which the Grade pay of Rs.1650/- or less

(3) Recruitment to Group B, C and D posts shall be made by notifying vacancies to the Employment Exchange and if deemed fit, Directorate General of Resettlement, provided that in the event of vacancies in question of Group B, C and D posts in respect of which the Secretary considers previous experience desirable, recruitment may be made by advertising the post also.

(4) In case of Group A posts, recruitment shall be made on the basis of selection from amongst the candidates fulfilling minimum eligibility criteria as may be laid down and answering to be advertisement in this behalf on All India basis, inviting applications.

(5) Preliminary competitive tests and interviews may be conducted both for the purpose of initial short listing of candidates and for final selection as may be decided by the Secretary, Executive Committee or Authority as the case may be in respect of posts within their respective jurisdictions.

(6) No person:-

- a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(9) The Secretary may devise and prescribe such forms, procedures, proforma, etc. as may be necessary and appurtenant to sub regulations (5) (6) and (7) above.

(b) The Chairman shall be appointing authority for all post carrying maximum Grade Pay of Rs. 5400/- (group "B", "C" and "D" categories) provided that all appointments made by him/her are against the posts sanctioned by the Central Government and shall be reported by him/her to the Executive Committee of the Authority and the Central Government.

(c) The Secretary may devise such ways as he deems fit and necessary to assist Chairman in the process of recruitment of suitable persons.

- (d) The Executive Committee may devise such ways and procedures as it deems fit to assist it in the recruitment of suitable persons. Where however no such procedures are prescribed, the Secretary shall take all steps in this behalf upto the stage of final selection by the Executive Committee and shall appoint the person selected by the Committee.
- (e) The Secretary or committee may coopt otherwise seek the assistance of outside experts to assist in the work of recruitment and selection and when such cooption is for the purpose of assistance at interviews an honorarium fixed in this regard with prior approval of the Central Government may be paid to the person so co opted.
- (f) The Authority may contract services, as deemed fit. No contract appointments of more than 6 months duration and on monthly remuneration subject to maximum of Rs.23000/- (i.e maximum of pay band + Grade pay of Group C category) shall be made without prior approval of the Central Government".

5. For Chapter VII of the said rules, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"CHAPTER VII

FINANCE, BUDGET AND ACCOUNTS OF THE AUTHORITY.

30 Powers to sanction expenditure:-

The Secretary may delegate his financial powers to sanction expenditure on recurring and non recurring expenditure relating to office contingencies, supplies and services etc. to the officer (s) of the Authority in accordance to the provisions of the Delegation of Financial Power Rules of the Central Government.

31 Power to write off losses, enter into and execute contracts and lease deed:-

(1) The Secretary shall have power to write off as irrecoverable losses as prescribed under delegation of financial powers rules of Central Govt.

(2) The Authority may write off losses incurred by it upto the limit as prescribed under delegation of financial powers rules of Central Govt. if the loss is due to theft, fraud and negligence in any single case and upto the limit as prescribed under delegation of financial powers rules of Central Govt. where such loss relates to public money, revenue or receipts, stores or other property held by or on behalf of the Authority, subject to observance of general conditions on the subject issued by the Central Government from time to time. The total amount in writing off losses in any year shall be done with the prior approval of the Central Government.

(3) The Secretary with the approval of Authority may enter into contracts which do not extend over a period of more than three years and also do not involve an expenditure of the limit as prescribed under delegation of financial powers rules of Central Government:

Provided that every agreement or contract for technical collaboration or consultation with firms or foreign Government shall require the prior sanction of the Central Government.

(4) The Secretary shall have power to execute lease deeds and power of attorney.

(5) The Chairman shall be controlling officer in respect of his own travelling and daily allowances

(6) The Secretary shall be controlling officer in respect of his own travelling, daily allowances and other members, officers and employees of the Authority:

Provided that the Secretary may appoint an officer of the Authority to be the Controlling Officer in respect of travelling, daily allowance for an employee of the Authority upto the Grade pay of Rs.4600/- per month or its equivalent.

(7) All cheques and all orders for making deposit or investment or withdrawals of the sums or for the disposal in any other manner of the funds of the Authority shall:-

- (a) If the cheques or orders are for an amount not exceeding Rs.25000/-, be signed by any officer nominated by the Secretary.
- (b) If the Cheques or orders are for an amount exceeding Rs.25000/-, be signed by the General Manager heading Budget and Finance division and another officer nominated by the Secretary".

ASIT TRIPATHY, Jt. Secy.
[ADVT. III/4/Exty./153/12]